रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 271] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 2012/अग्रहायण 20, 1934
No. 271] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 2012/AGRAHAYANA 20, 1934

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 11 दिसम्बर, 2012

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/25/5455.— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2012 कहा जा सकेगा ।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 में, विनियम 4 में उप-विनियम (2) में, खंड (द) के पश्चात् निम्नलिखित खंड और स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ध) पारस्परिक निधि स्कीम की यूनिटों का गलत-विक्रय;

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजनार्थ, "गलत-विक्रय" से किसी व्यक्ति द्वारा, प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत :—

(i) मिथ्या या भ्रामक कथन करते हुए, या

(ii) स्कीम के तात्विक तथ्यों को छिपाते हुए अथवा उनका लोप करते हुए, या

(iii) स्कीम के संबंधित जोखिम कारकों को छिपाते हुए, या

(iv) क्रेता के प्रति स्कीम की उपयुक्तता को सुनिश्चित करने हेतु समुचित सावधानी न बरतते हुए,

पारस्परिक निधि स्कीम की यूनिटों का विक्रय अभिप्रेत है ।"

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/69-जैडबी/12/असा.]

पाद टिप्पण.—1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 भारत के राजपत्र में, सं. का.आ. 816(अ), 17 जुलाई, 2003 को प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 तत्पश्चात् 23 अप्रैल, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बोर्ड द्वारा जारी समनों और सूचनाओं की तामील की रीति) (संशोधन) विनियम, 2007 द्वारा, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/2232/2007, संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 11th December, 2012

Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices Relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012

No. LAD-NRO/GN/2012-13/25/5455.—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, namely :—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) (Amendment) Regulations, 2012.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, in regulation 4, in sub-regulation (2), after the clause (r), the following clause and explanation shall be inserted, namely :—

"(s) mis-selling of units of a mutual fund scheme:

Explanation.—For the purpose of this clause, mis-selling" means sale of units of a mutual fund scheme by any person, directly or indirectly, by—

(i) making a false or misleading statement, or

(ii) concealing or omitting material facts of the scheme, or

(iii) concealing the associated risk factors of the scheme, or

(iv) not taking reasonable care to ensure suitability of the scheme to the buyer."

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/69-ZB/12/Exty.]

Footnote.—1. The SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, were published in the Gazette of India on July 17, 2003 *vide* No. S.O. 816(E).

2. The SEBI (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003, was subsequently amended on April, 23, 2007 by SEBI (Manner of Service of Summons and Notices Issued by the Board) (Amendment) Regulations, 2007 *vide* No. SEBI/LAD/DOP/2232/2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.